न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

:: आदेश ::

कमांकः–40/अ–59/2017–18/993 बैतूल दिनांक 30/01/2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, पटवारी हल्का नंबर 08 रा. नि. मं. सातनेर तहसील आठनेर जिला बैतूल द्वारा तहसीलदार आठनेर के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि, मौजा सातनेर स्थित खसरा नंबर 323 रकबा 3.832 हेक्टेयर मद रास्ता में 92 मकान बने हुए है। दिनांक 5–10–2016 को ग्राम सातनेर में आयोजित कलेक्टर महोदय की समीक्षा में, उक्त भूमि को आबादी घोषित करके निवासरत् परिवारो का पट्टे प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त भूमि को आबादी घोषित करने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव भी पारित किया गया है।

2– हल्का पटवारी के उक्त प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार आठनेर द्वारा मद परिवर्तन के लिए विधिवत् प्रकरण दर्ज करके आगामी कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा0) भैसदेही के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:–

(1)– मौजा सातनेर तहसील आठनेर स्थित खसरा नंबर 323 रकबा 3.832 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ता मद में दर्ज है।

(2)– उक्त खसरा नंबर पर पक्की सड़क बनी है, पक्की सड़क के किनारे 0.790 हेक्टेयर भूमि ग्रामवासियो द्वारा अतिक्रमण करके मकान बनाकर निवास किया जा रहा है।

(3)– ग्राम पंचायत सातनेर की बैठक दिनांक 26–5–2016 में सर्वसम्मति प्रस्ताव क्रमांक– 11 पारित किया जाकर, मौजा सातनेर स्थित खसरा नंबर 323 रकबा 3.832 को आबादी घोषित करने की कार्यवाही हेतु लेख करने का निर्णय लिया गया है।

(4)– मौजा सातनेर स्थित खसरा नंबर 323 रकबा 3.832 हेक्टेयर मद रास्ता की लम्बाई 1360 फीट एवं चौड़ाई 105 फीट है, उक्त क्षेत्र मूल ग्राम सातनेर का ढ़ाना है तथा बस्ती से लगा हुआ है।

(5)– मौके पर निर्मित पक्की सड़क की चौड़ाई 10 फीट है, तथा विद्यमान सड़क के दाये एवं बॉयं लगभग 5 से 7 फीट शेष बचती हैं, तथा विद्यमान सड़क के दाये एवं बॉये 5 से 7 फीट पर आवासीय मकान बने हुए है।

(6)– मौजा सातनेर स्थित खसरा नंबर 323 रकबा 3.832 मद रास्ता में से 0.790 हेक्टेयर का मद परिवर्तन किया जाकर आबादी घोषित किये जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित किए जाने पर आपत्तिकर्ता नंदलाल बोरबन द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई कि,उक्त स्थान पर अभी वर्तमान मे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बनाई गई है एवं सातनेर से चारघाटी वडाली, भुस्कुम, धावडी आदि कई ग्रामो के लोग प्रतिदिन आवागमन करते है। आवेदक की कृषि भूमि खसरा नंबर 292, 291 एवं 290 में मकान बने हुए है जो कि कृषि कार्य में बाधा करते है। मद परिवर्तन होने से मुझे इन लोगो को हटाने में परेशानी होगी। साथ ही आपत्ति कर्ता भूरा पिता आत्माराम द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई कि, प्रश्नाधीन भूमि का मद परिवर्तन करने से मेरे खेत खसरा नंबर 360/4, 8, 11, 15, 19, एवं 20 का रास्ता पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। आपत्तिकर्तागणो की उक्त आपत्ति के संबंध में, तहसीलदार आठनेर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, आपत्तिकर्ता नंदलाल की भूमि खसरा नंबर 212/2 रकबा 3.738 हेक्टेयर भूमि दो तरफ से रास्ते से लगी हुई है दोनो तरफ से खेत में जाने का उपयोग कर सकता है, इसी प्रकार भूरा पिता आत्माराम की भूमि के सभी नम्बर आबादी घोषित किए जाने वाले नम्बर से दूर है एवं सातनेर से कोयलारी रास्ते पर स्थित है।

(7)– तहसीलदार आठनेर द्वारा उपरोक्त आधारो पर आपत्तिकर्तागणो की आपत्ति अमान्य करते हुए, खसरा नंबर 323 रकबा 3.832 हेक्टेयर मद रास्ता में से 0.790 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने की अनुशंसा करते हुए प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (रा0) भैसदेही के

समक्ष प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (रा0) भैसदेही द्वारा तहसीलदार आठनेर के मत से सहमत होते हुए, प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

3— मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—237 (1) के अनुसार कलेक्टर दखलरहित भूमि को निस्तार के अधिकार के प्रयोग के लिए पृथक रख सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक— कमांक 1/2011/अधी./10842, दिनांक 8—11—2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांकः— 2489 दिनांक 25—2—2017 द्वारा मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4— तहसीलदार आठनेर एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा0) भैसदेही के प्रतिवेदन एवं प्रकरण में योजित दस्तावेजो के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि, मौजा सातनेर तहसील आठनेर स्थित खसरा नंबर 323 रकबा 3.832 हेक्टेयर मद रास्ता पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 10 फीट चौड़ी सड़क निर्मित है, इस सड़क के दोनो ओर 5 से 7 फीट भूमि छोड़कर 92 व्यक्ति मकान बनाकर निवासरत् है। इन व्यक्तियो द्वारा आवासीय पट्टे प्रदान करने के लिए, प्रश्नाधीन खसरा नंबर के कुल रकबा में से 0.709 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित किया जाना आवश्यक है। तद्नुसार आबादी घोषित किए जाने के संबंध में दो ग्रामवासियो द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है, परन्तु तहसीलदार आठनेर के प्रतिवेदन के अनुसार आपत्तिकर्तागणो की आधारहीन होने से मान्य योग्य नहीं है।

5— अतएव उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति एवं तहसीलदार आठनेर/अनुविभागीय अधिकारी (रा0) भैसदेही के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मौजा सातनेर तहसील आठनेर स्थित खसरा नंबर 323 रकबा 3.832 हेक्टेयर मद रास्ता में विद्यमान 10 फीट चौड़ाई की सड़क उसके दॉए बाए 05—05 फीट भूमि को छोड़कर शेष 0.790 हेक्टेयर भूमि (जिसे नक्शे में लाल स्याही से चिन्हित किया गया है) को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास बनाया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियो को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।

(मूलचन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला—बैतूल.

पृ0क्र0:—40/अ—59/2017—18/993 बैतूल दिनांक 30/01/2018

प्रतिलिपिः—

1— अनुविभागीय अधिकारी (रा0) भैसदेही।

2— तहसीलदार आठनेर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।

3— जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

4— जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

5— सचिव ग्राम पंचायत सातनेर जनपद पंचायत आठनेर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला—बैतूल.

01/02/2018

13/2/18